उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या 1804जेड /6-73-668ए/72
लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 1973

कार्यालय ज्ञाप

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शासन द्वारा स्वीकृत सुविधायें सुगमता से सुलभ किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय दिनांक 16 फरवरी 1973 से राज्य स्तर पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के निम्नानुसार गठन किये जाने का आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1-	मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2-	मंत्री/राज्य मंत्री राजनैतिक पेंशन उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3-	मंत्री/राज्य मंत्री वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4-	विधान सभा के एक सदस्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों	सदस्य
5-	विधान परिषद के एक सदस्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों	सदस्य
6-	गैर सरकारी सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे । ये सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे।
7-	गैर सरकारी सदस्य	
8-	" " "	
9-	" " "	
10-	" " "	

2) इस परिषद के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

(क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित मामलों पर विचार करके शासन को परामर्श देना ।

(ख) शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं उनके संबंध में उनकी कठिनाइयों का निवारण करना ।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंध में रेकार्ड रखना और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से पत्र व्यवहार करना और संपर्क स्थापित करना ।

(घ) शासन द्वारा सौंपे गये वित्तीय अधिकारों का उपयोग करना तथा अन्य संबंधित कार्यों को संभालना ।

----- 2 --

(ङ) जिला स्तर पर गठित परिषद की शाखाओं पर नियंत्रण तथा उनके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कल्याण हेतु कार्य करना ।

(च) सेनानियों के कल्याणार्थ कार्य करने के लिये शासन को परामर्श देना तथा उन्हें और उनके आश्रितों को सहायता पहुंचाना ।

(छ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिचय पत्र देना ।

3) परिषद को शासन द्वारा जो निदेश दिये जायेंगे उनका पालन परिषद की ओर से किया जावेगा । इस उपबंध के अधीन परिषद को उसके क्षेत्र में आने वाले विषयों पर और मामलों के संबंध में निर्णय लेने और कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकारी होगा । परिषद अधीनस्थ शाखाओं को अपनी जिम्मेदारियों तथा अधिकारों का प्रतिनिधायन भी कर सकती है।

4) परिषद एक सरकारी संस्था होगी । इसके साथ एक निदेशालय होगा और निदेशक ही परिषद का पदेन सचिव होगा । परिषद का कार्यालय लखनऊ में स्थित होगा तथा उसमें निम्न स्टाफ होगा :-

पद	संख्या	वेतन मान
1- निदेशक सचिव	1	1200- 50- 1400
2- सेक्शन अधिकारी	1	350- 25- 450- दरों- 25- 550 दरों- 40- 750
3- प्रवर वर्ग सहायक	3	200- 15- 275 दरों- 15- 350- दरों- 20- 450
4- संदर्भ लिपिक	1	200- 15- 260- दरों- 15- 335- दरों- 15- 380- दरों 20- 400
5- लेखाकार खजांची	1	-----तदैव-----
6- अवर वर्ग सहायक	3	120- 6- 150- दरों- 6- 180- दरों- 10- 230- दरों- 10- 250
7- टंकक	2	100- 4- 120- दरों- 5- 145- दरों- 5- 170- दरों- 5- 18
8- सचिव के वैयक्तिक सहायक	1	200- 15- 275- दरों- 15- 350- दरों- 20- 450
9- चपरासी	3	55- 1- 60- दरों- 1- 65- दरों- 1- 70- दरों- 1- 75

उक्त पदों के पदाधिकारी समय समय पर शासन द्वारा अनुमन्य दरों पर मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते पाने के अधिकारी होंगे यह सभी पद सचिवालय के समान पदों अथवा वेतनमानों के संवर्ग में अस्थाई वृद्धि स्वरूप होंगे ।

5) प्रदेश के प्रत्येक जिले में परिषद की शाखा स्थानीय समिति के रूप में बनायी जायगी जिसका स्वरूप इस प्रकार रहेगा :-

1- अध्यक्ष — जिलाधिकारी

2- सचिव — एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा जिसकी नियुक्ति परिषद करेगी और जिसे 1/- रूपया प्रतीक वेतन तथा 350/- रूपया मानदेय दिया जायगा ।

------ 2

3- गैर सरकारी सदस्य	इनकी संख्या 10 होगी यह सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे जिन्हें राज्य स्तरीय परिषद नामित करेगा ।

जिला समितियों का स्टाफ निम्न प्रकार होगा :-

1- उन जिलों में जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या 200 से कम है, मथुरा सहारनपुर, रामपुर, टेहरी गढ़वाल पिठौरागढ़, चमोली उत्तर काशी, बहराईच और बांदा (9 जिले)	इनमें लिपिकीय कार्य कलेक्ट्रेट के मौजूदा स्टाफ से लिया जाय जिन्हें साल के अन्त में इस कार्य के संबंधमें मानदेय 100/- प्रति लिपिक की दर से इस शर्त पर दिया जाय कि यह एक जिले में एक ही लिपिक को वर्ष के अन्त में अनुरक्षण होगा ।
2- उन जिलों में जिनमें 201 से 500 तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं देहरादून, अलीगढ़, बदायूँ, देवरिया, शाहजहांपुर, नैनीताल, गढ़वाल, बरेली, पीलीभीत, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, जालौन, झांसी, इलाहाबाद, बहराइच और सुलतानपुर (17 जिले)	इनमें एक कनिष्ट लिपिक का पद 100-180 रुपया के वेतनमान में सृजित किया कर दिया जाय
3- उन जिलों में जिनमें 501 से 2000 तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, मुजफ्फरनगर बुलन्दशहर, हमीरपुर, मेरठ, आगरा, मैनपुरी, एटा, बिजनौर, मुरादाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, मिरजापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, अल्मोड़ा उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, प्रतापगढ़ और वाराणसी (28 जिले)	इनमें एक ज्येष्ट लिपिक 120-220 रुपये के वेतनमान में तथा एक कनिष्ट लिपिक 100-180 रुपयाके वेतनमान के पद सृजित कर दिये जांय ।

6) वित्तीय पुस्तिका खंड-3 के नियम 20 बी के अधीन राज्यपाल महोदय ने यह भी आदेश दिया है कि समिति/परिषद की बैठक में उपस्थित होने के लिये तथा संबंधित अन्य कार्य हेतु यात्रा करने पर समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता नियमानुसार प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को देय यात्रा तथा दैनिक भत्ता के समान मिलेगा । यदि कोई गैर सरकारी सदस्य विधान मंडल/संसद का भी सदस्य है तो उसको रेल से यात्रा करने के लिये रेल का किराया नहीं मिलेगा। परन्तु उक्त आदेशानुसार

------ 4-

प्रासंगिक व्यय देय होगा । क्योंकि उनको रेल यात्रा के लिये मुक्त कूपन/पास मिलते हैं।

7) उक्त संबंधमें राज्य स्तर पर परिषद के स्टाफ यात्रा भत्ता आदि के आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशकसचिव जिला स्तर पर संबंधित जिले के अधिकारी होंगे ।

8) इस संबंध में होने वाला व्यय ''7।- प्रकीर्ण- आयोजनेतर- ङ- प्रकीर्ण और अनवेक्षित व्यय- (3) उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से संबंधित अधिष्ठान'' के नामे डाला जायगा ।

9) ये आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय सं0 ई-6-313/दस दिनांक 12-फरवरी, 1973 में प्राप्त हुई निर्गत किये जा रहे हैं।

आर० के० कौल
(आर0 के0 कौल)
विशेष सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्र देश ।
2- संबंधित सदस्य गण ।
3- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4- प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

वी/